पत्रांक : 4874/उ.सू.आ./2011
दिनांक : , 2011

प्रिय

जैसा आप अवगत ही है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित ग्राम प्रधानों को लोक सूचना अधिकारी तथा संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है.

2. आयोग में प्राप्त हो रही पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित द्वितीय अपीलों की सुनवाई के समय आयोग के समक्ष यह तथ्य आये हैं कि ग्राम प्रधानों द्वारा अधिनियम के संबंध में यथोचित जानकारी न होने के कारण आवेदनकर्ताओं को समय से तथा सही सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है. कई अवसरों पर ग्राम प्रधानों द्वारा अतिरिक्त शुक्ल की गलत गणना कर उसकी मांग भी आवेदनकर्ताओं से की जा रही है. इसी प्रकार फोटोकॉपियर मशीन के किराये, सूचना देने वाले कर्मचारियों के वेतन तथा होटल व्यय आदि की मांग भी ग्राम प्रधानों द्वारा आवेदनकर्ताओं से किये जाने जैसे दृष्टान्त भी द्वितीय अपीलों की सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष आये हैं. कतिपय प्रकरणों में ग्राम प्रधानों द्वारा आवेदकों को धमकी दिये जाने की शिकायत भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं.

3. उपरोक्त प्रकरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम प्रधानों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के कियान्वयन के संबंध में शासन स्तर से कोई प्रशिक्षण न प्रदान किये जाने के कारण उनके द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अपने इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन भली प्रकार से नहीं किया जा रहा है तथा जिस कारण सूचना आवेदनकर्ताओं को वांछित सूचना प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करनी पड़ रही है. अतः यह आवश्यक है कि ग्राम प्रधानों हेतु विकास खण्ड स्तर पर एक–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाये जिससे ग्राम प्रधानों को सूचना का अधिकार अधिनियम एवं नियमावली के विभिन्न प्राविधानों का भली भांति ज्ञान हो जाये तथा उनके द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया जाना संभव हो सके.

4. उपरोक्त के क्रम में कृपया पंचायती राज विभाग को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि अगले तीन माह में ग्राम प्रधानों हेतु विकास खण्ड स्तर पर अथवा उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान, रूद्रपुर में प्रशिक्षण आयोजित करा लिये जायें. कृपया इस संबंध में कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

प्रतिलिपि सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित.

(एन. एस. नपलच्याल)